

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 11/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीए/राआनि)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

का.आ. (ई). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) द्वारा संशोधित, संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्रं. सं.	नोटिसी का नाम (सियों)	कारण बताओ नोटिस सं एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै जेबीएफ़ इंडस्ट्रीज़ लि, एक्सप्रेस टावर्स, 8वा फ्लोर, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021.	फा.स . DRI/KZU/ CF /ENQ-31 (INT- 06)/ 2017 दिनांक 16.05.2017, दिनांक 15.09.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-II), न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई.	अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.
2.	मै ब्राइटवेज़, 401बी, पार्क एवेन्यू, एम जी रोड, डाहुकर वाडी, काँदिवली वेस्ट, मुंबई-400067 और 10 अन्य.	फा.स . DRI/MZU/E/ INT- 32/2017/Pt.II दिनांक 31.07.2017.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-II), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), न्हावा शेवा-III, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-II), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई.
3.	मै जी डी मंगलम एक्सिम प्रा लि, 843/6, मेन बाज़ार, मेहरौली, नई दिल्ली और 13 अन्य.	सी. स. VIII/ICD/6/ TKD/SIIB- Exp/DRI-SCN/ 13/16 दिनांक 30.03.2016.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो (एक्सपोर्ट), तुगलाकबाद, नई दिल्ली.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो (एक्सपोर्ट), तुगलाकबाद, नई दिल्ली.
	मै जी डी मंगलम एक्सिम प्रा लि, 843/6, मेन बाज़ार, मेहरौली, नई दिल्ली और 13 अन्य.	सी. स. VIII/6/ ICD/ PPG/SIIB/GDM/27/ 2016 दिनांक 31.03.2016, दिनांक 06.04.2016 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो (एक्सपोर्ट), पटपरगंज एवं अन्य आईसीडी, दिल्ली.	
	मै जी डी मंगलम एक्सिम प्रा लि, 843/6, मेन बाज़ार, मेहरौली, नई दिल्ली और 11 अन्य.	फा.स . S/12-Gen- Misc/81/16-17/ DBK/NS-II (JNCH) डीआरआई फा .स . 50C/7/2013-CI दिनांक 17.02.2017.	आयुक्त सीमाशुल्क, न्हावा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	

	मै जी डी मंगलम एक्सिम प्रा लि, 843/6, मेन बाज़ार, मेहरौली, नई दिल्ली और 13 अन्य.	सी. स. VIII (HQ) 10/ ACE/ADJ./11/2016 दिनांक 02.06.2017.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, आईजीआई एयरपोर्ट, एयर कार्गो (एक्सपोर्ट), नई दिल्ली.	
4.	मै कॉस्मो फ़ाइन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, No. 9, जगनाथन रोड, स्प्रिंग फ़ील्ड अपार्टमेंट्स, ग्राउंड फ़्लोर, नुंगंबककम, चेन्नई-600034 और 2 अन्य.	फा स. VIII/48/23/ 2013-DRI VIII/26/243/2013 -DRI दिनांक 19.05.2017.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, न्हावा शेवा-I, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
5.	मै एबीबी इंडिया लिमिटेड, 21वा फ़्लोर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ब्रिगेड गेटे नं 26/1, डॉ राज कुमार रोड, मल्लेश्वरम (प.), बेंगलुरु-560055 और 9 अन्य.	फा स. DRI/MZU/CI/ INT- 22/2017 दिनांक 17.08.2017, दिनांक 10.10.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), मुंबई ज़ोन III, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

[फा. स. डीआरआई/एचक्यू-सीआई/50डी/सीएए-10/2017-सीआई]

(एस. जयप्रहासम)
संयुक्त निदेशक